निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 28/2019/प्रा0पत्र/

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

अनवान

1. श्री बाबुलाल पिता धुलचन्द जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री नाथुलाल पिता बालूराम जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री माणकलाल पिता बालूराम जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री कैलाशचन्द्र पिता बालूराम जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री खुबीलाल पिता बालूराम जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री लोकेश पिता बालूराम जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्रीमति जमना देवी पत्नि बालूराम जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. प्रार्थी संख्या 2 से लगायत 7 की सहमति से जरिये अधिकृत प्रार्थी श्री बाबुलाल पिता धुलचन्द जी जाति ब्राहाम्ण आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति नेनी देवी पत्नि माधुलाल धाभाई आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मनोहरलाल पिता भंवरलाल आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. जीवा पिता पन्ना जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. चतरू पिता पन्ना जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. छगन पिता तुलसीराम जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. नारायण पिता रूपाजी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. प्रकाश पिता रूपाजी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. चमना पुरी पिता माधोपुरी आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. नाथूगिरी पिता भगवा गिरी आयु बालिग निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द

21/10

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

———प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज.ले.एक्ट

उपस्थित :– **01. श्री राजेश समदानी**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 614 के आराजी नम्बर 766 रकबा 1.00 आराजी नम्बर 780 [illegible]

794 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 795 रकबा 2.10, आराजी नम्बर 796 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 797 रकबा 1.10, आराजी नम्बर 798 रकबा 1.03, आराजी नम्बर 799 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 800 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 801 रकबा 1.14, आराजी नम्बर 802 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 4897/753 रकबा 1.08 कुल किता 16 रकबा 18.06 बीघा स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग – उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपुर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर अनुपस्थित व इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ के खाता नम्बर 614 के आराजी नम्बर 766 रकबा 1.00, आराजी नम्बर 789 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 790 रकबा 0.03, आराजी नम्बर 791 रकाबा 0.19, आराजी नम्बर 792 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 793 रकबा 1.10, आराजी नम्बर 794 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 795 रकबा 2.10, आराजी नम्बर 796 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 797 रकबा 1.10, आराजी नम्बर 798 रकबा 1.03, आराजी नम्बर 799 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 800 रकबा 1.06, आराजी नम्बर 801 रकबा 1.14,

बीघा की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेंश करें।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द